

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्ता, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति - यथापंजी।

2. आपदा :-

सर्वप्रथम जिला के अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच वितरण की गयी राहत सामग्री की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारी, सदर द्वारा बताया गया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच नगर निगम को मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी गेहूँ में से 2400 क्विंटल अभी तक नगर निगम द्वारा वितरित की गयी है एवं 2700 क्विंटल देहाती क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच गेहूँ वितरण किया गया।

सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस माह के अन्त तक राहत सामग्री का वितरण कर दें। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत राहत सामग्री अपने देख - रेख में बँटवायेंगे, ताकि किसी तरह का गड़बड़ी की आशंका नहीं रहे। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वेक्षण कर प्रस्ताव अंचल अधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा में देंगे।

3. ए0सी0 डी0सी0 बिल :-

आप अवगत हैं कि विभिन्न शीर्षवार समायोजन के लिए ए0 सी0 विपत्र पर निकासी की गयी राशि का डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार में समर्पित करना है। विभागीय निदेश के आलोक में अविलम्ब कार्यवाई करते हुए सार विपत्रों पर निकासी की गयी राशि से संबंधित डी0 सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार का कार्यालय बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचना दी जाय।

4. एकीकृत कार्य योजना के तहत प्रस्तावित पैक्स गोदामों के लिए भूमि उपलब्धता के संबंध में :-

एकीकृत कार्ययोजना के तहत अनुमंडल पदाधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं भूमि गोदाम के लिए उपर्युक्त है अथवा नहीं ? इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सभी अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला से की गयी थी। पुनः इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 427 दिनांक 05.09.2013 के द्वारा स्मारित भी किया गया है। परन्तु इस संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त है। अंचल अधिकारी, तारापुर द्वारा बताया गया कि सिर्फ लौना पंचायत में उपलब्ध भूमि पर विवाद उत्पन्न हो गया है। उसे भी समाधान कर लिया जाएगा अन्य स्थानों पर निर्माण हो सकता है।

अंचल अधिकारी, तारापुर एवं सहायक अभियंता भवन प्रमंडल को निदेश दिया गया कि रविवार को 11:00 बजे पूर्वाह्न जाकर पैक्स गोदाम के निर्माण हेतु भूमि Lay Out करा लें।

उसी प्रकार माननीय सांसद श्री भूदेव चौधरी द्वारा अनुशंसित योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता एवं उपयुक्तता के संबंध में प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, तारापुर, खड़गपुर, असरगंज, संग्रामपुर एवं टेटियाबम्बर से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, उन्हें स्मारित भी किया गया, परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. नवसृजित भूमिहीन प्राथमिक विद्यालय, आँगनवाड़ी केन्द्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सामुदायिक भवन पंचायत सरकार भवन, मनरेगा भवन :-

गत बैठक में जिला के सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया था कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रखंड/अंचल स्तरीय बैठक में प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी यथा सी0डी0पी0ओ0, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी, अमीन भूमि की उपयुक्तता के संबंध में समीक्षा

